

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board)

in

Original Application No. 1038 of 2024

Hardeep Sharma

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

Sr. No.	Description of Documents	Page Nos.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-5
3.	Annexure No. 1: (Copy of Letter no. 1717 dated 31.01.2025.)	--7 6
4.	Annexure No. 2: (Copy of Letter no. 1718 dated 31.01.2025.)	8-9 7
5.	Annexure No. 3: (Copy of Letter no. 1948 dated 18.03.2025.)	10 8
6.	Annexure No. 4: (Copy of Letter no. 1947 dated 18.03.2025.)	11 9

Date:

Place: Dehradun



MUKESH VERMA

Counsel for UKPCB

Chamber No. 50, Old Block, Supreme Court of India,

New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board)

in

Original Application No. 1038 of 2024

Hardeep Sharma

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents



AFFIDAVIT of Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Sh. M.B. Dhakate Presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board and as such is fully conversant with the facts of the case and is competent to sign and swear the instant affidavit.

Parag Madhukar Dhakate


2. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 24.02.2025 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

“

7. The registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 9 requiring them to file/responses at least three days before the date of hearing is fixed.

.....”

3. That in compliance with the above order, Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) vide letter no. 1717 dated 31.01.2025 instructed Rajesh Gupta and Nakul Kumar Gupta (Respondent no. 9) to ensure that the total amount of environmental compensation imposed of Rs.64,92,386/- is to be deposited through demand draft within 15 days. This amount, determined under the “Environmental Compensation Framework for Illegal Tree Felling,” has been assessed for the illegal cutting of 90 mango trees, 25 pear trees and 57 lichi trees. In this connection, a copy of letter no. 1717 dated 31.01.2025 is being filed and marked as **Annexure No. -1** to this affidavit.
4. That the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) vide letter no. 1718 dated 31.01.2025 also instructed Sudhir Gupta (Respondent no 8), Manish Gupta (Respondent no. 6) and Nakul Kumar Gupta (Respondent no. 9) to ensure that the total amount of environmental compensation imposed of Rs.2,33,992/-





is to be deposited through demand draft within 15 days. This amount, determined under the "Environmental Compensation Framework for Illegal Tree Felling," has been assessed for the illegal cutting of four mango tree.

In this connection, a copy of letter no. 1718 dated 31.01.2025 is being filed and marked as Annexure No -2 to this affidavit.

5. That thereafter, the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) vide letter no. 1948 dated 18.03.2025 issued a reminder letter to Rajesh Gupta and Nakul Kumar Gupta (Respondent no. 9) wherein the board directed them to deposit the imposed environmental compensation of ₹64,92,386/- within one week of receipt of the letter. The letter explicitly stated that failure to comply will result in the recovery of the amount through the District Magistrate, Udham Singh Nagar. In this connection, a copy of letter no. 1948 dated 18.03.2025 is being filed and marked as Annexure No.3 to this affidavit.

6. That the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) vide letter no. 1947 dated 18.03.2025 also issued a reminder letter to Sudhir Gupta (Respondent no. 8), Manish Gupta (Respondent no. 6) and Nakul Kumar Gupta (Respondent no. 9) and directed them to deposit the imposed environmental compensation of Rs.2,33,992/- within one week of receiving the letter. The letter explicitly stated that failure to comply will result in the recovery of the amount through the District Magistrate, Udham Singh Nagar. In this connection, a copy of letter no. 1947 dated 18.03.2025 is being filed and marked as Annexure No. 4 to this affidavit.




[Handwritten Signature]
4

7. That since as on date the amount of Environmental Compensation remain unpaid, therefore, in due process, recovery proceedings will now be initiated through District Magistrate, Udham Singh Nagar.
8. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.


Deponent


Verification: -

Verified at Dehradun on the 4 day of April 2025, that the contents of the compliance affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.


Deponent



16/04/25
This affidavit is sworn before me by
Shri..... Dr. Raj Medhury Phule
who is identified by Shri.....
at Dehradun on.....


(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun



264

मुख्यालय Annexure-1

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच.ओ./८५५५-२५५/१७१७

दिनांक 01.01.2025

31.01.2025

सेवा में,

श्रीमति राजेश गुप्ता पत्नी स्व महेश कुमार गुप्ता एवं
श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व महेश कुमार गुप्ता,
ग्रा0- चांदपुर, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर।

विषय:- अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024, हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या एवं अन्य में अवैध रूप से पेड़ों के कटान पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। विषयगत प्रकरण पर दिनांक 16.04.2024 को संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि विषयगत प्रकरण में, 94 वृक्ष आम के, 57 वृक्ष लींची के एवं 25 वृक्ष नाशपति के, कुल 176 वृक्ष कम पाये गये।

राज्य बोर्ड द्वारा अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के mechanism बनाये जाने हेतु गठित समिति की आख्या दिनांक 29.04.2024 के क्रम में "Environmental Compensation Framework for Illegal Tree falling" बनाया गया है। प्रकरण में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर की आख्या दिनांक 25.01.2025 में अवगत कराया गया है कि आपके स्वामित्व के खसरा नं0 145, 147, 152, 153 में निम्नानुसार वृक्ष कम पाये गये हैं एवं उक्त कम पाये गये वृक्षों के सम्बन्ध में तालिकानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण किया जाता है:-

भू-स्वामि का नाम	खसरा नं0	कम पाये गये वृक्षों की संख्या		
		आम	नाशपती	लींची
श्रीमति राजेश गुप्ता पत्नी स्व महेश कुमार गुप्ता एवं श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व महेश कुमार गुप्ता, ग्रा0- चांदपुर, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर	145, 147, 152, 153	90	25	57
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रति वृक्ष	-	रु0 58498 प्रति वृक्ष के आधार पर	रु0 8831 प्रति वृक्ष के आधार पर	रु0 17663 प्रति वृक्ष के आधार पर
कुल आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि	-	58498 × 90 = Rs. 52,64820/-	8831 × 25 = Rs. 2,20,775/-	17663 × 57 = Rs. 10,06,791/-
कुल आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति	-	52,64820 + 2,20,775 + 10,06,791 = Rs. 64,92,386/-		


कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि (शब्दों में) = Sixty Four Lakh Ninty Two Thousand Three Hundred Eighty Six only.

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया **265** कि आप पर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल धनराशी रु0 64,92,386/- को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में देय हो, के माध्यम से आगामी 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
भवदीय


(डा० पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को पत्रवाहक के माध्यम से पत्र प्राप्तकर्ता को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।


सदस्य सचिव

ए००८



266

मुख्यालय Annexure-2
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

“गौरा देवी पर्यावरण भवन”

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच.ओ./CEM-2457/1718

दिनांक 21.01.2025

सेवा में,

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र स्व श्री सुरेश कुमार गुप्ता,
श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता,
श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व महेश कुमार गुप्ता,
ग्रा0-चांदपुर, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर।

विषय:- अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024, हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या एवं अन्य में अवैध रूप से पेड़ों के कटान पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। विषयगत प्रकरण पर दिनांक 16.04.2024 को संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि विषयगत प्रकरण में, 94 वृक्ष आम के, 57 वृक्ष लींची के एवं 25 वृक्ष नाशपति के, कुल 176 वृक्ष कम पाये गये।

राज्य बोर्ड द्वारा अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के mechanism बनाये जाने हेतु गठित समिति की आख्या दिनांक 29.04.2024 के क्रम में “Environmental Compensation Framework for Illegal Tree falling” बनाया गया है। प्रकरण में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर की आख्या दिनांक 25.01.2025 में अवगत कराया गया है कि आपके स्वामित्व के खसरा नं0 156 में निम्नानुसार वृक्ष कम पाये गये हैं एवं उक्त कम पाये गये वृक्षों के सम्बन्ध में निम्न तालिकानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण किया जाता है:-


भू-स्वामि का नाम	खसरा नं0	कम पाये गये वृक्षों की संख्या		
		आम	नाशपती	लींची
श्री सुधीर गुप्ता पुत्र स्व श्री सुरेश कुमार गुप्ता, श्री मनीष गुप्ता, पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, श्री नकुल कुमार गुप्ता, पुत्र स्व महेश कुमार गुप्ता, ग्रा0-चांदपुर, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर।	156	04	-	-
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रति वृक्ष	-	रु0 58498 प्रति वृक्ष के आधार पर	-	-
कुल आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि	-	58498 × 04 = Rs. 2,33,992/-	-	-

कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि (शब्दों में) = Two Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred Nine Hundred Ninty Two only.

Clean Environment and Healthy Life Style
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली


उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल धनराशी रु0 2,33,992/- को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में देय हो, के माध्यम से आगामी 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


(डा० पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को पत्रवाहक के माध्यम से पत्र प्राप्तकर्ता को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।


सदस्य सचिव





LIFE
Lifestyle For
Environment

268

मुख्यालय Annexure-3

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'गौरा देवी पर्यावरण भवन'

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच.ओ./C8M/245/1949

दिनांक 18/03.2025

अनुस्मारक-1

सेवा में,

श्रीमति राजेश गुप्ता पत्नी स्व महेश कुमार गुप्ता एवं
श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व महेश कुमार गुप्ता,
ग्रा0- चांदपुर, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर।


विषय:- अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024, हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या एवं अन्य में अवैध रूप से पेड़ों के कटान पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिस क्रम में आपको बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं0 यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सी0एण्ड0एम0-245/1717, दिनांक 31.01.2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परंतु वर्तमान तक आप द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा नहीं करायी गयी हैं।


अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा आप पर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि रु0 64,92,386/- को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड में जमा नहीं करायी जाती है तो आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के माध्यम से भू-राजस्व की भांति की जायेगी।


भवदीय


(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को पत्रवाहक के माध्यम से पत्र प्राप्तकर्ता को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालन भी सुनिश्चित कराये।


सदस्य सचिव





269

मुख्यालय

Annexure-4

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच.ओ./C & M/1977

दिनांक 12.03.2025

अनुस्मारक-1

सेवा में,

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र स्व श्री सुरेश कुमार गुप्ता,
श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता,
श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व महेश कुमार गुप्ता,
प्रा0-चांदपुर, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर।


विषय:- अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024, हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या एवं अन्य में अवैध रूप से पेड़ों के कटान पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिस क्रम में आपको बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं0 यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सी0एण्ड0एम0-245/1718, दिनांक 31.01.2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परंतु वर्तमान तक आप द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है।


अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा आप पर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि रु0 2,33,992/- को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड में जमा नहीं करायी जाती है तो आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के माध्यम से भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

भवदीय


(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को पत्रवाहक के माध्यम से पत्र प्राप्तकर्ता को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।


सदस्य सचिव

Clean Environment and Healthy Life Style
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली

